4216
17/6

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांक प. 1(180) कार्मिक/क–3/जॉच/2017 जयपुर, दिनांकः 13 JUN 201

आदेश

डॉ रामनारायण यादव, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 09.10.2017 से आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र प्रसारित किए गए।

डॉ रामनारायण यादव, तत्कालीन सीएमएचओ, कोटा को चिकित्सा विभाग के आदेश दिनांक 16.03.2017 के द्वारा निलम्बित किया गया तथा इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(179)कार्मिक/क–3 /जॉच/2017, दिनांक 15.03.2018 द्वारा उक्त निलम्बन आदेश की पुष्टि की गई। डॉ यादव ने निलम्बन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 24434/2018 दायर की, जिसमें आदेश दिनांक 13.03.2019 द्वारा डॉ यादव के निलम्बन के प्रकरण में एक माह की अवधि में स्पष्ट एवं सुसंगत आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये है।

चूंकि डॉ रामनारायण यादव, तत्कालीन सीएमएचओ, कोटा, पर नियमों के विपरीत 54 रिक्त पदों के विरूद्ध 120 नर्सिंग कर्मियो को नियुक्ति दिये जाने के आरोप है, जिनसे न केवल 66 व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुँचा गया, अपितु राज्य सरकार को भी भारी वित्तीय हानि पहुँची है, जो कि गम्भीर दुराचरण है। विचाराधीन नियुक्ति प्रकरण में आर.एम.आर.एस. नियमावली का उल्लघन कर बिना सक्षम अनुमोदन के कार्यवाही की गई है, जो पदीय शक्तियो का दुरूपयोग है।

डॉ रामनारायण यादव, तत्कालीन सीएमएचओ, कोटा पर गम्भीर प्रकृति के आरोप अधिरोपित है, जिससे राज्य सरकार को वित्तीय हानि हुई है, इस कारण राज्य स्तरीय पुनरावलोकन समिति की बैठक दिनांक 09.05.2019 में डॉ यादव को निलम्बन से बहाल नहीं किये जाने की अभिशषा की है।

अतः राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्देश दिनांक 13.03.2019 की पालना में डॉ रामनारायण यादव, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के निलम्बन आदेश को निरन्तर रखे जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

–sd
(अंजू राजपाल)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशेषाधिकारी, (वाई), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके बारकोड़ क्रमांक एफ. 19001828, दिनांक 20.05.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्मिक (–3/वादकरण) शाखा को एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 24434/2018 के सन्दर्भ में।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर।
6. अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क–1/गो.प्र) विभाग। (02.09.1957)
7. अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क–3/निरीक्षण) विभाग। 10(166)2017
8. डॉ रामनारायण यादव, तत्कालीन सीएमएचओ, कोटा।
   द्वारा– शासन उप सचिव,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

13/06/19
शासन संयुक्त सचिव

INSAFO Note

9
12/7/19 (6)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :-- सीवी/सीएएस/आर-465/2019/573 दिनांक 12/7/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
3. डॉ0 रामनारायण यादव, तत्का0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा हाल निलम्बित मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईड पर आज ही अपलोड करावें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।